



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1941 (श0)
(सं0 पटना 161) पटना, मंगलवार, 25 फरवरी 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
25 फरवरी 2020

अधिसूचना संख्या 1 / 2020 - राज्य कर (दर)

एस0ओ0 87, दिनांक 25 फरवरी 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में, संख्या 544 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची II - 6% में, क्रम सं. 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।
- (ख) अनुसूची IV - 14% में, क्रम सं. 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

सारणी

"228.	कोई भी अध्याय	लॉटरी"
-------	---------------	--------

2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2020 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7) --566)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डा0 प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

25 फरवरी 2020

एस० ओ० 87 दिनांक 25 फरवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7) --566)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डा० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 25th February 2020

Notification No. 1/2020- State Tax (Rate)

S.O. 87 dated the 25th February 2020---In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule II - 6%, S. No. 242 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule IV - 14%, for S. No. 228 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be substituted, namely: -

“228.	Any chapter	Lottery”.
-------	-------------	-----------

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)--566)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 161-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>